Ph.No. 0151 - 2543419 (O)
2549348 (Fax)

सूचना का
अधिकार
RIGHT TO
INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. B.R. Chhipa
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 115/2018

श्री विक्रमसिंह तक्षक,
R–4 क्वार्टर
सबलपुरा पावर हाऊस कॉलोनी,
सबलपुरा (सीकर) 332001,

अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर

प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 28.03.2018
अपील में निर्णय की दिनांक 07.05.2018

निर्णय

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 29.12.2017) के द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान नहीं की गई होने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक ने **बी.पी.एल** के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 29.12.2017) प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी व बी.पी.एल के साक्ष्य के रूप में परिवार राशन कार्ड जिसमें इनके पिता का नाम मुखिया के रूप में अंकित है की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 05 दिनांक 04.01.2018 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को स्वंय का बी.पी.एल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जिसके क्रम में अपीलार्थी/आवेदक ने ई–मेल दिनांक 09.01.2018 के द्वारा स्वंय का राशन कार्ड नही बना होना अवगत करवाते हुए पिता के परिवार राशन कार्ड के आधार पर ही आवेदन पत्र पर कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। कुलसचिव एवं लोकसूचना अधिकारी के पत्रांक 18 दिनांक 20.01.2018 द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत परिवार राशन कार्ड के अतिरिक्त परिवार के बी.पी.एल में होने का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी/आवेदक को पुनः लिखा गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 29.12.2017) के द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,

अ-115/2018

बीकानेर से चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान नहीं की गई होने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत कर सूचना देने की प्रार्थना की है। विश्वविद्यालय के पत्रांक एफ (अ–115/18)VCS/RAJUVAS/RTI/2018/127 दिनांक 01.05.2018 के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 07.05.2018 नियत की गई होना अवगत करवाया गया। अपीलार्थी नियत सुनवाई तारीख को अनुपस्थित रहे। कुलसचिव एंव लोक सूचना अधिकारी की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी/आवेदक ने बी.पी.एल के रूप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया व साक्ष्य के रूप में पिता के परिवार राशनकार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। बी.पी.एल के साक्ष्य के रूप में स्वंय का बी.पी.एल प्रमाण पत्र/परिवार के बी.पी.एल में होने का प्रमाण पत्र चाहे जाने के उपरान्त भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी बी.पी.एल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही कर परिवार राशनकार्ड के आधार पर ही कार्यवाही करने हेतु अपीलार्थी/आवेदक ने लिखा तथा साथ ही माननीय राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर द्वारा अपील संख्या 36/15 पूनम सिंह बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जवाजा, अजमेर में दिनांक 01.06.2016 को पारित निर्णय की और ध्यान आकर्षित किया गया कि उक्त निर्णय में माननीय आयोग द्वारा मत व्यक्त किया गया है कि बी.पी.एल कार्ड प्रस्तुत करने के उपरांत ही धारा 7(5) के तहत निःशुल्क सूचना प्राप्त करने का अधिकार है तथा अपीलार्थी/आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने समुचित अवसर प्रदान किये गये होने के उपरांत भी उचित साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया होना व अपीलार्थी/आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क अथवा बी.पी.एल. के परिवार का सदस्य होने का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी बी.पी.एल प्रमाण पत्र/ बी.पी.एल. कार्ड की प्रति संलग्न नही की गई होने व आवेदन पत्र के साथ बी.पी.एल परिवार का सदस्य होने के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत परिवार राशनकार्ड की प्रति प्रर्याप्त साक्ष्य नही होने के कारण अपीलार्थी/आवेदक का आवेदन वैध आवेदन की श्रेणी में नही माना जा सकता है, भी अवगत करवाते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

उक्त वर्णित तथ्यों, तर्कों, संबंधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में व माननीय राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर द्वारा उक्त वर्णित अपील संख्या 36/15 में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2016 के प्रकाश में अद्योहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन को नामंजूर किये जाने का विनिश्चिय करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है व कुलसचिव एंव लोक सचूना अधिकारी द्वारा की गई कार्यावाही विधि सम्मत है। अतः उक्त तथ्यों व आधारो पर अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभय पक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

(बी.आर. छीपा)
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर

कुल सचिव
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान
विश्वविद्यालय बीकानेर